

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2024 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री संदीप भागिया, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री प्रमोद कुमार यादव, उपायुक्त श्रम रोजगार, मुजफ्फरनगर।
3. श्री संजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट कॉर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
6. मौ० इमरान, आई०एस०ए० समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
7. श्री यगन कुमार, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर।
8. श्री विपिन वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
9. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
10. श्री संजीव त्यागी, जी०एम०, मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०)।
11. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।
12. ग्राम प्रधान कासमपुर खोला, विकास खण्ड- मोरना।
13. ग्राम प्रधान सिखरेड़ा, विकास खण्ड- जानसठ।
14. ग्राम प्रधान उमरपुर लिसोड़ा, विकास खण्ड- खतौली।
15. ग्राम प्रधान जागाहेड़ी, विकास खण्ड- बघरा।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों पर प्रगति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2024 को विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों, सम्बन्धित फर्मों, डी०पी०एम०यू० एवं टी०पी०आई० के साथ बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1- मै० जे०एम०सी०-एल०सी०इ०एस०पी०एल०(जे०वी०), मुम्बई की स्वीकृत 215 नग डी०पी०आर० के सापेक्ष इनके द्वारा 208 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 208 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 188 योजनाओं में 1184.93 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 110289 एफ०एच०टी०सी० प्रदान किये गये हैं। 171 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 166 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध हैं एवं जिनमें से 125 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये हैं। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 19 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन ही कराये गये हैं। उपलब्ध 216 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 146 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं। फर्म द्वारा 216 अवर जलाशय के सापेक्ष 194 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। फर्म को अवर जलाशय निर्माण एवं रोड रेस्टोरेशन हेतु 910 मैनपावर की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 595 मैनपावर से निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। इस प्रकार 315 नग मैनपावर कम है। उक्त के सम्बन्ध में फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया अवशेष मैनपावर 01 सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायगी। पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध न होने के कारण योजनाओं को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कराया जाना संभव नहीं हो पायेगा। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 08 योजनाओं पर

हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया गया है एवं 28 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण हो गया है इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त 28 योजनाओं पर अवशेष कार्य पूर्ण करा कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराया जाना सुनिश्चित करे। फर्म द्वारा निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्म को चेतावनी पत्र जारी करे एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को भी फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी करे।

2- मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0), हैदराबाद की स्वीकृत 19 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 19 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक सभी ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 264.78 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 25574 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है, सभी 23 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 14 नग योजनाओं के सापेक्ष सभी सोलर पैनल उपलब्ध है एवं सभी 14 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 05 योजनाएँ ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शन करा लिये गये है। उपलब्ध 23 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 23 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। सम्बन्धित फर्म को समस्त योजनाओं के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर हर घर जल प्रमाणीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

3- मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0), नई दिल्ली की स्वीकृत 109 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष इनके द्वारा 97 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से वर्तमान तक 94 ट्यूबवैल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। 88 योजनाओं में 742.95 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई है एवं 67525 एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किये गये है। 88 नग योजनाओं पर पम्प हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत 60 नग योजनाओं के सापेक्ष 48 नग सोलर पैनल उपलब्ध है एवं जिनमें से 22 नग सोलर पैनल अधिष्ठापित हो गये है। फर्म के पास 49 योजनाएँ ऐसी है, जिनका संचालन विद्युत से होना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक 05 योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन कराया गया है। उपलब्ध 110 नग मोटर पम्प के सापेक्ष 72 नग मोटर पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 110 अवर जलाशय के सापेक्ष 68 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया एवं फर्म को सख्त निर्देश दिये गये मैनपॉवर बढ़ा करा सभी योजनाओं पर अवर जलाशय के कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे। फर्म को अवर जलाशय निर्माण एवं रोड रेस्टोरेशन हेतु 820 मैनपावर की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 440 मैनपावर से निर्माण कार्य कराये जा रहे है। इस प्रकार 380 नग मैनपॉवर कम है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर अवगत कराया गया अवशेष मैनपॉवर जुलाई माह में उपलब्ध करा दी जायगी। पर्याप्त मैनपॉवर उपलब्ध न होने के कारण योजनाओं को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कराया जाना संभव नहीं हो पायेगा। फर्म द्वारा अधिकतर योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करके अधूरे छोड़ दिये गये है, जिसके कारण माननीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 योजनाओं पर अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर इसी माह के अन्त तक हर घर जल प्रमाणीकरण करा दिया जायेगा। फर्म द्वारा निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि फर्म को चेतावनी पत्र जारी करे एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को भी फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी करे।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि समस्त जूनियर इंजीनियर, डी०पी०एम०यू० एवं टी०पी०आई० द्वारा फर्मों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण निरन्तर कराना सुनिश्चित करे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। साथ ही सख्त निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में सभी सरकारी भवनो में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये एवं कराये जा रहे सभी गृह संयोजन घरों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित फर्मों द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पस में मिट्टी भराव ना होने के कारण योजनाओ पर निर्माण कार्य बाधित हो रहे है, उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा डी०सी० मनरेगा को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र सभी योजनाओ पर मिट्टी भराव का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। 15 योजनाओ पर भूमि अनुपलब्धता/भूमि विवाद हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), को निर्देशित किया गया सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से मिलकर उक्त योजनाओ पर भूमि प्राप्ति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक बार समीक्षा बैठक में अलग-अलग ग्राम प्रधानो को प्रतिभाग कराये एवं ग्राम प्रधानो को अपने-अपने ग्रामों में जागरूकता अभियान चलाकर जल संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सभी फर्मों को सख्त निर्देश दिये गये कि सभी योजनाओ के कार्य लक्षित समय दिसम्बर-2024 तक प्रत्येक दशा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

(संदीप भागिया)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ०सं० 2461 / 108 / 35 दिनांक:- 25/8/24 ई-मेल द्वारा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्मों एवं सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रगति लाना सुनिश्चित करे।
4. उपायुक्त श्रम रोजगार, मुजफ्फरनगर।
5. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
6. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।
10. उपस्थित ग्राम प्रधान।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।